तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/4590/2005/बीकानेर** **हरगोपाल बनाम विशेश्वर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित

श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक प्रार्थी।

श्री अशोक नाथ योगी, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 28–7–2025

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–7–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– आलौच्य आदेशानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन तामील नियमानुसार वैयक्तिक रूप से करवाने का आदेश पारित किया है ।

3– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस निगरानी पर सुनी।

4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषकगण ने बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत है। उनका कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 व 188 के तहत मौजा नत्थूसरबास तहसील व जिला बीकानेर में स्थित विवादित आराजी बाबत प्रस्तुत किया । अप्रार्थी द्वारा उक्त वाद में एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत कर वाद को खारिज किए जाने का निवेदन किया । उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 3–1–2003 द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार वाद खारिज कर दिया । उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । प्रार्थी द्वारा उक्त अपील में अप्रार्थी के सम्मन प्रस्तुत किए लेकिन अप्रार्थी सम्मन तामील नहीं होना देना चाहते । राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दिनांक 18–9–2003 को अखबार में प्रकाशन के आदेश दिए। उसके बाद अप्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि रेस्पो0 सं0 1 से 7, 9 से 11 व 16 की तामील अखबार में जो कराई है, वह नियमानुसार नहीं है । अतः पुनः सम्मन तामील करवाये जावें। अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र को दिनांक 6–7–2005 से स्वीकार कर प्रार्थीगण को पुनः सम्मन भरकर पेश किए जाने के आदेश दिए । उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । उनका कथन है कि जब एक बार सम्मन प्रकाशित हो गए एवं उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है । उसके बावजूद राजस्व अपील प्रधिकारी द्वारा साधारण सम्मन देकर तामील करवाने का अधिकार उनको नहीं था । प्रार्थना–पत्र संधारण योग्य नहीं था । अपील में देरी करने से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी ने स्वीकार कर त्रुटि कारित की है । अतः

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/4590/2005/बीकानेर** **हरगोपाल बनाम विशेश्वर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त कर उन्हें निर्देश दिए जावें कि जिन रेस्पोडेण्ट के सम्मन अखबार में तामील माने हुए है उन्हें तामील मानकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर शीघ्र किया जावे । 5— अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में तर्क दिया अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है । प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत सभी पक्षकारों को सुनकर प्रकरण का निस्तारण किया जाना होता है । राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा वैयक्तिक रूप से नोटिस दिए गए हैं। इसलिए ऐसे आदेश में निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है । अतः निगरानी खारिज की जावे । 6— हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। 7— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 188 के तहत एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसे आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत दिनांक 3—1—2003 द्वारा खारिज किया गया । प्रार्थी द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध दिनांक 14—1—2003 अपील प्रस्तुत की । अपीलीय न्यायालय की आदेशिकाओं के अनुसार दिनांक 18—10—2003 को उत्तरवादी संख्या 1 से 7, 9 से 11, 13, 16 के सम्मन अखबार में प्रकाशित होने के बाद चूंकि एकतरफा कार्यवाही में अमल में लाई गई थी । इसके बाद उत्तरवादी संख्या 1 से 7, 9 से 11, 13, 16 द्वारा एक प्रार्थना—पत्र उचित तामील करवाने बाबत पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट अंकित किया है कि पत्रावली में दिनांक 9—9—2003 की पालना में कोई सम्मन पेश होना व जारी होना नहीं पाया जाता है । इससे पूर्व दिनांक 9—9—2003 को पेशी के लिए जो सम्मन जारी किए गए और जो लौटकर आये है, उनसे भी यह जाहिर नहीं होता कि रेस्पोडेण्ट जानबूझकर तामील करने में आनाकानी कर रहे हैं ।ऐसी कोई रिपोर्ट इस सम्मन पर तामील कुनिन्दा की उपलब्ध नहीं है । अतः वैयक्तिक तामील की प्रक्रिया को अपनाया जाना न्यायोचित समझते हुए पुनः तामील के आदेश दिए है । प्राकृतिक न्याय का यह सिद्धांत है कि सभी पक्षकारों को सुना जाकर प्रकरण का निर्णय किया जाना न्यायोचित है । अतः ऐसे विधिसम्मत आदेश में निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है । निगरानी का क्षेत्र सीमित है । इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 230 मूलतः इस प्रकार है— **“230- Power of the Board to call for cases-** The Board may call for the record of any cases decided by any subordinate revenue court in which no appeal lies either to the Board or to a	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/4590/2005/बीकानेर** **हरगोपाल बनाम विशेश्वर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	civil court under section 239 and if such court appears- (a) to have exercised jurisdictions not vested in it by law:or (b) to have failed to exercise jurisdictions so vested :or (c) to have acted in the exercise of its jurisdictions illegally or with material irregularity. Board may pass such orders in the cases as it thinks fit." उक्त धारा में यह भी प्रावधित किया है कि जब निचले न्यायालय द्वारा कोई अधिकारिता संबंधी या प्रक्रिया संबंधी त्रुटि की जाती है तो पुनरीक्षण होता है। जब उपलब्ध सभी उपचार समाप्त हो जावे, तभी पुनरीक्षण किया जा सकता है। पुनरीक्षण की शक्ति पक्षकार का अधिकार नहीं है। यह न्यायालय का विवेकाधिकार है। पुनरीक्षण की शक्ति सदा विवेकाधीन होती है। इसमें केवल यही देखना होता है कि निचले न्यायालय ने अधिकारिता के बाहर जाकर कार्य किया है या प्रक्रिया के पालन में त्रुटियां की है। उक्त प्रावधानों के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हमें कोई तथ्यात्मक या क्षेत्राधिकारिता संबंधी कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है जिसमें निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः निगरानी सारहीन होने से निरस्त योग्य है। 8— उक्त विवेचन के आधार पर निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है । पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर) सदस्य	